अब 60 से ज्यादा उम्र पर भी विधवा पेंशन

अधिकतम उम्र की सीमा खत्म, बच्चा बालिग तो भी मिलेगी पेंशन

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

विधवा पेंशन के लिए अब अधिकतम उम्र की बाध्यता नहीं होगी। सरकार ने यह बध्यता खत्म कर दी है। पहले विधवा पेंशन के लिए अधिकतम उम्रसीमा 60 साल थी। इसके अलावा महिलाएं अब बच्चा बालिग होने के बाद भी विधवा पेंशन की हकदार होंगीं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।

अब तक विधवा पेंशन 18 से 60 साल तक की उम्र तक ही दी जाती थी। इसके बाद विधवा पेंशन की जगह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करना होता था। साथ ही विधवा पेंशन के लिए यह भी पात्रता होती थी कि उनकी बालिग संतान न हो। अब यह सब समाप्त कर दिया गया है। विधवा पेंशन का टारगेट 17 लाख से बढ़ाकर 23 लाख कर दिया गया है। योजना आधार से लिंक होगी।

एक हजार होगी पेंशन! : सूत्र बताते हैं कि नियमों में संशोधन के बाद अब विभाग विधवा पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी में है। अभी 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

17,28,472
वित्तीय वर्ष 2015-16 में लाभार्थियों की संख्या

17,31,878
वित्तीय वर्ष 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या

इन्हें नहीं मिलेगी पेंशन

- विधवा की उम्र 18 साल से कम होने पर
- पारिवारिक आय दो लाख रुपये सालाना से ज्यादा होने पर
- किसी और तरह की पेंशन मिलने पर
- उत्तर प्रदेश का निवासी न होने पर

आवेदन के चार महीने में फैसला नहीं तो मान लिया जाएगा स्वीकृत

विधवा पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। पहले आवेदन करने के बाद लाभार्थी को हार्ड कॉपी खुद जमा करनी होती थी, अब यह प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा आवेदन के चार महीने में पेंशन पर फैसला सक्षम अधिकारी लेंगे। अगर वे चार महीने में फैसला नहीं लेते हैं तो आवेदन स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। साथ ही शासनादेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी स्तर पर आवेदन में गड़बड़ी पाई जाती है तो आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। चार चरणों में जांच करने के लिए कहा गया है, साथ ही सभी जांच की समयसीमा भी तय कर दी गई है।

एसएमएस से सूचना

पेंशन के लिए www.mahilakalyan.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद अप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए आवेदक को विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सारी जानकारी उन्हें एसएमएस से मिलेगी। ऑनलाइन पत्र सबमिट होने, खंड विकास अधिकारी या उप जिला अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड करने या रिजेक्ट करने, जिला स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकार या रिजेक्ट करने, पीएफएमएस से लाभार्थी का डेटा अगर अस्वीकार होता है तो कारण सहित, खाते में पैसा जाने पर एसएमएसम से सूचना मिलेगी।

पात्र नहीं कर सके आवेदन तो भी अधिकारी जिम्मेदार : शासनादेश में साफ कहा गया है कि पात्र अगर किसी भी कारण से आवेदन नहीं कर पाता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अधिकारी की होगी। चाहे वह ऑनलाइन आवेदन ना सके या फिर उसे जानकारी न हो। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, लेखपाल और शहरी इलाकों मे निकायकर्मियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करेंगे कि हर मोहल्ले, कस्बे, वार्ड में सभी पात्रों को पेंशन मिले।